भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2042
उत्तर देने की तारीख-19/12/2022

बालिका को निःशुल्क शिक्षा

2042. श्री घनश्याम सिंह लोधी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार केवल एक बेटी या दो बेटियों वाले परिवारों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का विचार कर रही है ताकि बच्चों की संख्या को सीमित कर ऐसे परिवारों को लाभान्वित किया जा सके;
(ख) क्या निजी और सरकारी स्कूलों में इकलौती बालिका के प्रवेश में कोई प्राथमिकता दी जाती है;
(ग) यदि हां, तो इसके नियम क्या हैं;
(घ) निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली इकलौती बालिका के लिए मौजूदा योजनाओं के नाम क्या हैं; और
(ङ) क्या सरकार का विचार इकलौती बालिकाओं को निःशुल्क उच्चतम शिक्षा प्रदान करने का है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क): केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के अंतर्गत आने वाले ज्यादातर स्कूल निजी स्कूल हैं और फीस के मामले तथा अन्य सभी पहलुओं को संबंधित राज्य सरकार द्वारा विनियमित किया जाता है।

केंद्र सरकार के अधीन सीबीएसई स्कूलों में, केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) की सभी छात्राओं को ट्यूशन फीस का भुगतान करने से छूट दी गई है। इसके अलावा, कक्षा VI से XII तक की एकल बालिकाओं को किसी भी शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है। जवाहर नवोदय विद्यालयों में भोजन, आवास और छात्रों के अन्य सभी खर्च सहित शिक्षा निःशुल्क है।

(ख) से (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले/वित्तपोषित स्कूलों को छोड़कर अन्य स्कूल राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इस प्रकार, निजी और सरकारी स्कूलों में एकल बालिकाओं के प्रवेश से संबंधित मामले और स्कूलों में इसके घटकों को संबंधित राज्य सरकार के नियमों और अनुदेशों के अनुसार विनियमित किया जाता है।

केवीएस कक्षा-I में प्रति सेक्शन दो एकल बालिकाओं और छठी कक्षा के बाद प्रति कक्षा दो लड़कियों को प्रवेश देता है। ये सीटें कक्षा की स्वीकृत क्षमता से अतिरिक्त हैं।

सीबीएसई मेधावी एकल छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करता है, जो अपने माता-पिता की एकमात्र संतान हैं (जुड़वां बच्चों में साथ-साथ पैदा हुईं सभी लड़कियों सहित); और सीबीएसई की कक्षा दसवीं की परीक्षा 60% या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण की है और सीबीएसई से संबद्ध स्कूल में कक्षा XI और XII की अपनी आगे की शिक्षा जारी रख रही हैं।

(ङ): उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत विश्विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) वित्तीय सहायता प्रदान करके एकल बालिकाओं में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। योजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

1. **इंदिरा गांधी एकल बालिका स्नातकोत्तर छात्रवृति**– इस योजना के अंतर्गत, पूर्णकालिक/नियमित आधार पर स्नातकोत्तर करने के लिए एकल बालिका उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। फैलोशिप प्रदान करने हेतु सभी पात्र आवेदनों का चयन किया जाता है।

2. **सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले एकल बालिका फैलोशिप** – "सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले एकल बालिका फैलोशिप" योजना विशेष रूप से एकल बालिका के लिए है जो नियमित पूर्णकालिक मोड के माध्यम से पीएच.डी. कार्यक्रम करने की इच्छुक हैं और इसके लिए मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश लिया है।

"स्वामी विवेकानंद एकल बालिका फैलोशिप" के दिशानिर्देशों में संशोधन के पश्चात "सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले एकल बालिका फैलोशिप" योजना शुरू की गई थी। वर्तमान योजना के तहत, फैलोशिप की दर में वृद्धि की गई है और फैलोशिप प्रदान करने के लिए सभी पात्र आवेदनों का चयन किया जाता है।

*****